न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

(मिस)ल नं. 1/223/2020 तारीख रजू..........................

मानसिंह **बनाम** हुँकम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2020	वकील वादी उपस्थित। आज दावा वकील वादी की ओर से वकिल श्री सुभाष चन्द शर्मा कठूमर एड0 ने पेश किया। कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 08.12.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8.12.20	बमुजब कोरोना एवं/P.O. वाइरस ...Covid-19... पत्रावली दिनांक 9-2-21 को पेश हो।	
9-2-21	....वकील वादी.....................उपस्थित साबिक आदेश दिनांक.....20.10.20 की पालना में पत्रावली वास्ते....तलबी.... दिनांक.....20/4/21.........को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20.4.21	बमुजब कोरोना एवं/P.O. वाइरस ...Covid-19... पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो।	
13.7.21	बमुजब कोरोना एवं/P.O. वाइरस ...[illegible]... पत्रावली दिनांक 22/12/21 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/12	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 7/6/12 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/6/12	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पेश हुई अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 23 मि० रकबा 0.52 हे० वाके ग्राम उदयपुरा तह० कठूमर के 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कजोडी पुत्र नारायण का नाम कलमबन्द करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो हाल राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मौसल पर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया। पत्रावली मौसल शुमार होकर नकलें नकल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/223/2020

वउनवान

1. मानसिंह पुत्र गौरया उर्फ ग्यारसा जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

.......वादी

बनाम

1. हुकम पुत्र कजोडी पोत्र नारायण जाति मीना
2. प्रहलाद पुत्र कजोडी जाति मीना
3. रिंकू पुत्र शिवराम जाति मीना
4. विजय पुत्र शिवराम जाति मीना
5. अजय पुत्र शिवराम जाति मीना
6. रोशन पुत्र कजोडी जाति मीना
7. राजवीर पुत्र कजोडी जाति मीना

   निवासीयान ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर

8. तहसीलदार साहब तहसील कठूमर लैण्ड होल्डर।

असल प्रतिवादीगण

9. अंगूरी पुत्री तोफी जाति मीना
10. प्रेमबाई पुत्री तोफी जाति मीना
11. मलूकी देवी पुत्री तोफी जाति मीना
12. रामभरोसी पुत्र तोफी जाति मीना
13. विनोद पुत्र तोफी जाति मीना

   निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :– श्री सुभाष चन्द शर्मा– अधिवक्ता वादी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

निर्णय

दिनांक 07.06.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 23/270 रकवा 0.52 हे. ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता एंव वादी के चाचा तोफी को अलोटमेंण्ट कर 0.52 हे. भूमि दी गई थी। वादी के पिता भौंरया को गांव में कजोडी भी कहते है तथा वक्त आवण्टन वादीगण के पिता का नाम कजोडी पुत्र कुंभा दर्ज गया था। जिस आराजी का खसरा नम्बर 23/270 दर्ज किया गया जो आराजी मुतनाजा कजोडी व तोफी पुत्रान कुंभा मीना के नाम आवण्टन कर आवण्टी के हक में नामान्तकरण सं0 58 दर्ज किया गया तथा वादीगण के पिता व तोफी को मौके पर कब्जा दिया गया। वादीगण एंव तोफी के वारिसान विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है तथा आज भी कब्जे काश्त में है। गांव के दीगर व्यक्ति कजोडी पुत्र नारायण ने आराजी मुतनाजा की वावत राजस्व कर्मचारियान से वेजा साज वाज होकर दिनांक 31.08.1994 को एक शुद्विपत्र कजोडी पुत्र नारायण के नाम करा लिया। जिस पर वादीगण के पिता द्वारा न्यायालय श्रीमान में दावा दायर कर शुद्वि पत्र को निरस्त कराने की प्रार्थना की जो दावा डिकी होकर कजोडी पुत्र नारायण का शुद्वि पत्र निरस्त फर्माया गया है। वादीगण का पिता ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ आदमी था जिसने निर्णय के वाद इजराय की कार्यवाही नहीं की जिस कारण शुद्वि पत्र निरस्त होने के वावजूद कजोडी पुत्र नारायण के शुद्वि पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करा लिया। कजोडी पुत्र नारायण फौत हो चुका है तथा अव प्रतिवादीगण अपने नाम विरासत दर्ज कराने पर अमादा है जवकि प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से किसी तरह का लेना देना नही है उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है और वादीगण ही विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति हैं जो हाल गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व दीगर व्यतियों को रहन वय करने की धमकी देते है। इस वजह से वादीगण प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 बाबजूद तामील उपस्थित नही आये उनके विरूद्व दिनांक 30.03.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं0 8 जवाव दावा पेश नहीं करना चाहते। प्रतिवादी सं0 9 ला0 13 ने हाजिर अदालत होकर दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश किया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2075 प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 57 ग्राम उदयपुरा एंव नामान्तकरण संख्या 58 प्रदर्श–3 प्रदर्श–4 आर्डरसीट ACEM कठूमर व प्रदर्श–5 आदेश ACEM कठूमर प्रदर्श–6 नकल दावा ACEM कठूमर पेश किये है।तथा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व प्रतिवादी सं0 9 ला0 13 के ईकवाल जवाव का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में कथन किया कि वादीगण के पिता गौरया को गांव में कजोडी भी कहते है। वक्त आवण्टन वादीगण के पिता का नाम कजोडी पुत्र कुंभा दर्ज कर दिया। वादीगण के पिता कजोडी एंव चाचा तोफी पुत्रान कुंभा के नाम आवण्टन कर आबण्टी के हक में नामान्तकरण संख्या 58 दर्ज किया गया गांव के कजोडी पुत्र नारायण ने उक्त अराजी की वावत शुद्वि पत्र दिनांक 31.08.1994 को करा कजोडी पुत्र कुंभा के स्थान पर कजोडी पुत्र नारायण करा लिया। गौरया उर्फ कजोडी ने उक्त शुद्वि पत्र को चैंलेज किया जो शुद्वि पत्र निरस्त करने की डिक्री श्रीमान सहायक कलेक्ट्रर द्वारा पारित की गई किन्तू तोफी अनपढ आदमी थ जिसने डिक्री के बाबजूद इजराय नहीं कराई जिस कारण अमल नहीं हुआ। कजोडी पुत्र नारायण फौत हो चुका है। मृतक के वारिसान अपने नाम खातेदारी दर्ज कराना चाहते है। शुद्वि पत्र निरस्त आदेश पत्रावली पर पेश किया है। अतः वाद वाद पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है अतः वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह के वयान ईकवाल जवाव का अवलोकन किया। यह सही है कि कजोडी पुत्र कुंभा के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कजोडी पुत्र नारायण निर्णय दिनांक 21.05.1996 के ए सी ई एम कठूमर द्वारा निरस्त कर किया गया है। वकील वादी का कथन है कि वादी द्वारा इस निर्णय की

एजराय पेश नहीं की थी जिस कारण कजोडी पुत्र नारायण का नाम बदस्तूर चला आ रहा है। दौराने बहस पटटा मूल आंवटन की प्रमाणित प्रति पेश की हमने पटटा (आवण्टन आदेश) दिनांक 22.12.1976 का अवलोकन किया। जिस आदेश में तोफीराम एंव कजोडी पुत्रान कुंभाराम मीना दर्ज है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वादी के पिता गोरया को गांव में कजोडी भी कहते है तथा गोरया एंव कजोडी दोनों एक ही है तथा पटटा में कजोडी का नाम दर्ज है जिससे सावित है कि उक्त आराजी गोरया उर्फ कजोडी को आवण्टन हुई थी तथा गवाहान के वयानात से स्पश्ट है कि उक्त आराजी पर कजोडी के वारिस मानसिंह का कब्जा है तथा दावा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान वादी व निर्णय ए सी ई एम कठूमर के अवलोकन व विद्वान अधिवता वादी की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से डिकी किये जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 23/270 रकवा 0.52 हे. वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा कजोडी पुत्र नारायण का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो हाल राजस्व रेकार्ड मे उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 07.06.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/223/2020

वउनवान

1. मानसिंह पुत्र गौरया उर्फ ग्यारसा जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

डिक्रीदार

बनाम

1.हुकम पुत्र कजोडी पोत्र नारायण जाति मीना
2. प्रहलाद पुत्र कजोडी जाति मीना
3. रिंकू पुत्र शिवराम जाति मीना
4. विजय पुत्र शिवराम जाति मीना
5. अजय पुत्र शिवराम जाति मीना
6. रोशन पुत्र कजोडी जाति मीना
7. राजवीर पुत्र कजोडी जाति मीना
   निवासीयान ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर

मदयूनान

8. अंगूरी पुत्री तोफी जाति मीना
9. प्रेमबाई पुत्री तोफी जाति मीना
10. मलूकी देवी पुत्री तोफी जाति मीना
11. रामभरोसी पुत्र तोफी जाति मीना
12. विनोद पुत्र तोफी जाति मीना
    निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर

तर0 प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी निर्णय दिनांक 07.06.2022 के अनुसार डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 23/270 रकवा 0.52 हे. वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कजोडी पुत्र नारायण का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो हाल राजस्व रेकार्ड मे उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें

आज दिनांक 07.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)